न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नारायण प्रसाद, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः 124 सन् 2007

(CIS Reg.No. – E.C.Act cases/79/2014)

राजस्थान राज्य

ब ना म

1–विनोद कुमार गोयल पुत्र लीलूराम गोयल निवासी मकान नं.63 डी, ब्लाक पीएस कोतवाली जिला श्रीगंगानगर।

2–अमनदीप पुत्र देशराज निवासी वार्ड नं.8 नजद कब्रीस्तान पीएस पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

––अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 285 भादस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रतिनिधित्वः–

(1) विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।

(2) श्री आनन्द व्यास, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

––निर्णय––

दिनांक–23.05.2025

1. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.04.2007 को अभियुक्तगण विनोद कुमार व अमनदीप के विरूद्ध धारा 285 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

2. अभियोजन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.03.2007 को परिवादी संदीप गौड़ , प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर ने थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर एक फर्द मौका प्रदर्शपी.01 इस आशय की पेश की कि दिनांक 08.03.07 को 6:30 पीएम पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा ये निर्देश मिलने पर के 63–डी ब्लॉक श्रीगंगानगर में एक मारूती वैन में सलैंडर के कारण आग लगी है आप मौके पर पहुंचें। 63–डी ब्लॉक श्रीगंगानगर पहुंचने पर वहां पहले से कानाराम एसआई मय जाप्ता कोतवाली मौजूद थे। मौके पर एक वैन जिसके नम्बर आरजे 13–यूए–0449 थे सफेद रंग की जली हुई मिली जिसके पीछे वाले दो टायर जलकर नष्ट हो गये थे। उक्त मकान का मालिक विनोद गोयल पुत्र लीलूराम को होना पाया गया। मकान मालिक मौका पर मौजूद मिला। मकान के गैराज में एक वैन खडी थी जो जली हुई हालत में थी। जब हमने वैन का चैक किया तो वैन के पीछे एक लाल सलेंडर रखा हुआ था जो जली हुई हालत में था। वैन के

पीछे की साइड में काला बडा सलैंडर रखा हुआ था। वैन की तालाशी में वैन में एक गन नाजल जो कि गैस रिफलिंग मोटर से गैस रिफलिंग करने के काम आता है जली हुई हालत में मिला। विनोद ने बताया कि जब वैन में आग लगी थी जब वह घर पर नही था वैन का चालक अमनदीप था जो जलने की वजह से अस्पताल मे विचाराधीन है। वैन में क्यो आग लगी विनोद कुमार को कोई कारण नही पता। पुलिस जो मौके पर पहुंची वो बता रही थी कि जब वे पहुंचे तो वैन के पीछे गैस रिफलिंग मोटर रखी हुई थी जो हमारे पहुंचने पर तालाश करने पर नही मिली। वैन में गन नोजल मिल व पास में पडा गैस सलैंडर मिला उससे लग रहा था कि गैस सलेंडर से वैन में रखे सलेंडर में गैस रिफलिंग की जा रही होगी उस दौरान गैस लिकेज के कारण शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई होगी। मौके पर उक्त जली हुई मारूती वैन एक बडा काला सिलेंडर एचपी का घरेलु सिलेंडर एक गन नोजल को मौके पर जब्त किये जाकर कानाराम एसआई को सुपूर्दगी पर दिया गया व मौका फर्द तैयार की गई, इत्यादि।

3. उक्त फर्द मौका प्रदर्श पी.01 के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 417/2009 अपराध अन्तर्गत धारा 285 भादस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दर्ज हुई जिसमें बाद अनुसंधान उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 285 भादस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आरोप पत्र पेश हुआ। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बहस चार्ज सुनने के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 285 भादस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 विजेन्द्र कुमार, पी.ड.02 ओमप्रकाश मित्तल, पी.ड.03 संदीप गौड़, पी.ड.04 रामप्रताप, पी.ड.05 कानाराम, पी.ड.06 बी.एम.शर्मा, पी.ड.07 सुखराम को परीक्षित करवाया गया व प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श.पी.01 से प्रदर्श.पी.07 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित करवाया गया जिसमें अभियुक्तगण ने कथन किया कि वह निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। अवसर प्राप्त करने के बावजूद प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण द्वारा वैन में कोई गैस रिफिलिंग नहीं की गई। मौका से रिफलिंग करने की कोई मोटर बरामद नहीं हुई है। अभियुक्त विनोद घटना के समय मौका पर मौजूद नहीं था। गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है । लिहाजा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

8. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दू उत्पन्न होता है कि:–

1– आया दिनांक 8.3.2007 को वक्त 6:30 पी एम बजे या उसके लगभग वाके 63 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में अभियुक्त विनोद कुमार के स्वामित्वाधीन आवासीय मकान में स्थित गैराज में अभियुक्त विनोद कुमार वाहन स्वामी व अभियुक्त अमनदीपसिंह वाहन चालक के आधिपत्याधीन वाहन मारूति वैन नं. आर जे 13 यु ए 0449 में विद्युत चलित मोटर से घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन में लगे गैस टेंक में गैस को अवैध रूप से रिफलिंग व प्रयोग किया जाना पाया गया तथा उक्त गोदाम में से उक्त मारूति वेन में एक बड़ा काला सिलेण्डर, एक एच पी कंपनी डाका घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, एक गन नोजल (रिंफलिंग उपकरण), (मोटर बरामद हुए, जिस बाबत् आपके पास कोई वैध स्वीकृति व अनुज्ञा पत्र नहीं था। अभियुक्तगण का उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का अभिनियमन एंव वितरण) आदेश, 2000 के क्लॉज 3(1) (सी) तथा 4 (1) (ए) का उल्लंघन होकर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सपठित 7 के तहत् दंडनीय अपराध हैं ?

2– आया अभियुक्त विनोद कुमार वाहन स्वामी व अभियुक्त अमनदीपसिंह वाहन चालक द्वारा उक्त वाहन मारूति वैन में घरेलू एलपीजी गैस का अवैध रूप से रिफलिंग व प्रयोग करने से, ज्वलनशील पदार्थ गैस के साथ आपके उक्त बर्ताव से उक्त वाहन मारूति वैन व गैराज में आग लग गई तथा मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

3– यदि हाँ, तो अभियुक्तगण को क्या सजा दी जावे ?

9. उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो अभियोजन साक्षी पी.ड.01 संदीप गौड़ प्रकरण का परिवादी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द मौका प्रदर्शपी.1 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन करता है कि दिनांक 08.03.07 को वह प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर में तैनात था। उस रोज वक्त 6:30 पीएम पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर मौके पर गवाह को एक वैन आरजे 13–यूए–0449 जली हुई मिली। उक्त मकान का मालिक विनोद कुमार था जो मौका पर मौजूद था। वैन को चैक किया तो पीछे एक लाल सलेंडर जली हुई हालत में मिला। वैन के पीछे की साइड में काला बडा सलैंडर रखा हुआ मिला। वैन की तालाशी में वैन में एक गन नाजल जो गैस रिफलिंग के काम में ली जाती है, जली हुई हालत में मिली। अभियुक्त विनोद ने बताया कि वैन में आग क्यों लगी, उसे पता नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वैन के पीछे गैस रिफलिंग मोटर रखी हुई थी जो गवाह के पहुंचने पर नही मिली। वैन के पास रखा गन नोजल व गैस सलैंडर से लगा कि गैस सलेंडर से वैन में रखे सलेंडर में गैस रिफलिंग करते समय शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई होगी।

10. जिरह में कथन करता है कि गन नोजल, दोनों सिलेण्डर, रेगूलेटर उसके द्वारा पुलिस को सुपुर्द कर दिये गये थे। पुलिस ने पहले उक्त सामान को अपनी अभिरक्षा में नहीं लिया था। लाल सिलेण्डर वैन की पाईप से जुड़ा हुआ नहीं था। मौके पर वैनसे लाल सिलेण्डर अलग से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर किसी ने सिलेण्डर उठाकर वैन के पीछे रखा हो तो वह नहीं बता सकता। गवाह स्वीकार करता है कि उन्होंने अन्दाजा लगाया था कि घटना शार्ट सर्किट के कारण हो सकती है। यद्यपि गन नोजल मिलने से रिफलिंग की जाने का गवाह कथन करता है। गवाह स्वीकार करता है कि काला सिलेण्डर वैन के बाहर पड़ा था इसलिए फर्द में बाहर पड़ा होना लिखवाया है। गवाह स्वीकार करता है कि नोजल वैन में लगी हुई नहीं थी बल्कि पड़ी थी। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि घटना के समय अभियुक्त मौका पर नहीं था तथा उसे घटना की जानकारी नहीं थी। गवाह स्वीकार करता है कि घरेलू सिलेण्डर या अन्य सिलेण्डर लीक होने से शोर्ट सर्किट से आग लग सकती है।

11. इस प्रकार गवाह स्वीकार करता है कि घटना के समय अभियुक्त मौका पर उपस्थित नहीं था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि लाल सिलेण्डर या अन्य सिलेण्डर में लीकेज होने के कारण शार्ट सर्किट में आग लग सकती है। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि काला सिलेण्डर वैन के बाहर पड़ा था इसलिए बाहर होना फर्द में लिखवाया है। ऐसी स्थिति में प्रथम तो यही साबित नहीं होता कि घटना रिफलिंग के कारण हुई हो। द्वितीय यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाये कि घटना रिफलिंग के कारण हुई थी तो वह अभियुक्त के निर्देश पर या उसकी जानकारी में हुई हो, इस प्रकार की स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है।

12. गवाह पी.ड.01 विजेन्द्र कुमार घटना की दिनांक को परिवादी के साथ था जो अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द मौका के समान कथन करता है। जिरह में गवाह कथन करता है कि काला सिलेण्डर कार के अन्दर फिट नहीं था बल्कि बाहर पड़ा था। गवाह स्वीकार करता है कि मौके पर कार से सिलेण्डर का कोई संबंध नहीं था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि रिफलिंग के लिए सिलेण्डर का कार में लगा होना आवश्यक है। जब वह मौका पर गया तो काले या लाल सिलेण्डर में रिफलिंग की कोई मोटर नहीं लगी हुई थी। गवाह स्वीकार करता है कि लाल सिलेण्डर में कोई नोजल नहीं लगी हुई थी। काले या लाल सिलेण्डर में गैस थी आिवा नहीं, उन्होंने नहीं नापा। गवाह स्वीकार करता है कि गैस रिफलिंग की कोई मोटर मौका पर नहीं मिली। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि मोटर के बिना रिफलिंग नहीं की जा सकती है। गवाह स्वीकार करता है कि गैस लीकेज हो तो शार्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है।

13. इस प्रकार यह गवाह भी स्वीकार करता है कि गैस लीकेज के कारण शोर्ट सर्किट से आग लग सकती है। यह गवाह भी मौके पर काले सिलेण्डर का वैन से बाहर होना तथा सिलेण्डर में किसी प्रकार की नोजल नहीं लगी होना स्वीकार करता है। मौके पर किसी प्रकार की मोटर भी नहीं मिलना गवाह स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में घटना रिफलिंग के कारण हुई हो, ऐसा इस गवाह की साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

14. गवाह पी.ड.02 ओमप्रकाश मित्तल अभियुक्त विनोद का पड़ौसी है जो आग लगने की

आवाज सुनकर मोके पर जाने का कथन करता है। जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि लाल सिलेण्डर गाड़ी में लगा हुआ नहीं था और ना गैराज में पड़ा था बल्कि रसोई में पड़ा था। सिलेण्डर में कोई नोजल नहीं लगा था। रिफलिंग का कोई सामान उसके सामने बरामद नहीं हुआ था।

15. इस प्रकार जहॉ परिवादी लाल सिलेण्डर गाड़ी के पीछे पड़ा होने का कथन करता है वहीं यह गवाह लाल सिलेण्डर रसोई में पड़ा होने का कथन करता है। गवाह के समक्ष रिफलिंग का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है तथा किसी प्रकार की नोजल भी सिलेण्डर में नहीं लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में रिफलिंग के कारण ही घटना हुई हो, ऐसा इस गवाह की साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

16. गवाह पी.ड.04 रामप्रताप प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी कानाराम के साथ मौके पर पहुंचने का कथन करता है। मौका पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाह द्वारा थाने में लाकर प्रस्तुत की गई गई है जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जिरह में गवाह कथन करता है कि उसके बयान नहीं हुए थे। उसने थानेदार को कुछ नहीं बताया। जहाँ अन्य गवाह कथन करते हैं कि काला सिलेण्डर गाड़ी से बाहर था वहीं यह गवाह कथन करता है कि काला सिलेण्डर गाड़ी में था। लाल सिलेण्डर व काले सिलेण्डर में भरी गैस को तौला या नहीं, गवाह को याद नहीं। जब वह मौका पर पहुंचा तो रिफलिंग मोटर थी लेकिन थानेदार जी से लिखने में भूल हो गई इस कारण जप्ती में नहीं लिखा गया है। गवाह कथन करता है कि उसने थानेदार जी को नहीं बताया था कि जप्ती में रिफलिंग मोटर जप्त करना अंकित नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि लाल सिलेण्डर पर कोई रेगूलेटर नहीं लगा था तथा लाल सिलेण्डर में ऐसी कोई पाईप भी नहीं लगी थी जो कार के साथ जुड़ी हो। मौका पर गाड़ी का मालिक था या नहीं, उसे याद नहीं। यदि सिलेण्डर रसोई में पड़ा हो तो उसे याद नहीं।

17. इस प्रकार यद्यपि गवाह मौके से रिफलिंग मोटर बरामद होने का कथन करता है लेकिन फर्द में इसका उल्लेख नहीं होना भी स्वीकार करता है। यदि मौका से रिफलिंग मोटर जप्त की जाती तो स्वाभाविक रूप से फर्द में उसका उल्लेख किया जाता। लाल सिलेण्डर रसोई में पड़ा हो तो भी गवाह को ध्यान नहीं।

18. गवाह पी.ड.06 डा. बी.एम. शर्मा द्वारा आहत अमनदीप के शरीर पर आयी चोटों का मेडीकल मुआयना किया गया है।

19. गवाह पी.ड.07 सुखराम द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान कानाराम एसआई को सुपुर्द किया गया है।

20. गवाह पी.ड.05 कानाराम प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान संबंधी सामान्य कथन करता है। जिरह में गवाह कथन करता है कि काला सिलेण्डर गाड़ी में लगा हुआ था लेकिन बाद में स्वीकार करता है कि वह नहीं बता सकता कि आर्टीकल–1 व 2 अर्थात नोजल व रेगुलेटर गाड़ी में लगे हुए थे या नहीं। गवाह यह भी नहीं बता सकता

कि काला सिलेण्डर गाड़ी में नहीं लगा होकर साईड में पड़ा हो। गवाह स्वीकार करता है कि लाल सिलेण्डर पर कोई आग नहीं लगी थी तथा काले सिलेण्डर में लीकेज के कारण आग लग सकती है। उसने दोनों सिलेण्डरों को तौला नहीं था। जहाँ गवाह रामप्रताप कथन करता है कि मौके पर रिफलिंग मोटर मिली थी वहीं यह गवाह स्वीकार करता है कि मौके पर रिफलिंग मोटर नहीं मिली थी। गवाह स्वीकार करता है कि मोटर के बगैर लाल सिलेण्डर से काले सिलेण्डर में गैंस रिफलिंग नहीं की जा सकती है। लाल सिलेण्डर कहाँ पड़ा था उसे याद नहीं। अगर मीटर के नीचे पड़ा हो तो उसे पता नहीं। उसके जाने से पहले रसोई में पड़ा हो तो भी उसे पता नहीं। गवाह स्वीकार करता है कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य नहीं आया था कि अभियुक्त विनोद ने अपने चालक को कार रिफलिंग करने के लिए कहा हो। मौके पर अभियुक्त विनोद नहीं मिला था।

21. इस प्रकार गवाह द्वारा अन्य गवाहों के विरोधाभासी कथन किये गये है। यदि नोजल व रेगुलेटर गाड़ी में नहीं लगे हो तो गवाह को जानकारी नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि मोटर के बगैर लाल सिलेण्डर से काले सिलेण्डर में गैस नही भरी जा सकती तथा मौके से किसी प्रकार की मोटर बरामद नहीं होना भी गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है। गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया था कि अभियुक्त विनोद ने अपने चालक को कार रिफलिंग करने के लिए कहा हो। ऐसी स्थिति में प्रथम तो यही साबित नहीं होता कि मौके पर किसी प्रकार की रिफलिंग की जा रही हो जिसके कारण घटना कारित हुई हो और द्वितीय यह कि यदि ऐसी रिफलिंग के कारण किसी प्रकार की घटना हुई है तो वह अभियुक्त की जानकारी अथवा निर्देश में हुई हो।

22. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के विवेचन विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ऐसी सुस्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है कि गैंस रिफलिंग के कारण कथित घटना हुई हो। ऐसी स्थित में अभियोजन उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 285 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

23. एतद्द्वारा अभियुक्तगण **1–विनोद कुमार गोयल** पुत्र लीलूराम गोयल निवासी मकान नं.63 डी, ब्लाक पीएस कोतवाली जिला श्रीगंगानगर, **2–अमनदीप** पुत्र देशराज निवासी वार्ड नं.8 नजद कब्रीस्तान पीएस पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 285 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतद्द्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते हैं।

24. प्रत्येक अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000/– रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये

न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

(नारायण प्रसाद)

25. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नारायण प्रसाद)